"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2002—फाल्गुन 29, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2002)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) को संशोधित करते हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 है. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. मूल अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (22) जोड़ा जाए :— धारा 5 में अंत: स्थापन.

"(22) कृषि, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, दुग्ध तकनीकी तथा अन्य विज्ञानों से सम्बद्ध उपधियां/ डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को देने के प्रयोजन के लिए महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करना."

3. मूल अधिनियम की धारा-28 के खण्ड (अट्ठाइस) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 28 का अंत: स्थापन

"(उन्तीस) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी प्राधिकारी के प्रबंधन के अधीन किसी महाविद्यालय या शैक्षणिक संस्था को इस प्रयोजन के लिये बनाये गये विनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों में उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान करना."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

निजी संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से कृषि तथा संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अध्यापन तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त संगठनों तथा संस्थाओं की सम्बद्धता आवश्यक शर्त है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 में ऐसे संगठनों तथा संस्थाओं की सम्बद्धता के लिए कोई उपबंध नहीं है. इसलिए सम्बद्धता या मान्यता देने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन आवश्यक समझा गया.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 14 मार्च, 2002.

डॉ. प्रेमसाय सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987

धारा-5

5. **विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—**

(1) जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करना तथा धारण करना, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई हो, सरकारी भूमि तथा उसकी संस्थाओं को छोड़कर, पट्टे पर देना, बेचना या अन्यथा अंतरित करना;

(2) निम्नलिखित के अध्ययन को संवर्द्धित करना तथा उसमें अभिवृद्धि करना तथा उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण के व्यवस्था करना;

(क) कृषि, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, ग्रामीण उद्योग तथा कारबार और अन्य सम्बद्ध विज्ञान; और

(ख) विद्या की ऐसी अन्य शाखाएं जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे.

(3) कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिये तथा उनके ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिये व्यवस्था करना और कृषि विस्तार सेवाओं को, जिनके अंतर्गत ग्रामीण युवक कार्यक्रम आता है, संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(4) उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;

(5) महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं तथा छात्रावासों को परिनियमों में विहित की गई रीति में चलाना;

(6) अध्यापन पद, अनुसंधान पद तथा विस्तार पद जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(7) अध्यापकों के लिए अर्हताएं अवधारित करना तथा उन्हें इस रूप में मान्यता देना कि वे कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में किसी महाविद्यालय में शिक्षण देने या उनमें अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करने के लिए अर्हित है;

(8) क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित न हों, ऐसे व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(9) ऐसी प्रयोगशालाओं, ऐसे पुस्तकालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, कृषि फार्मों, जिनके अंतर्गत अभिजनन फार्म, कुक्कुट पालन फार्म, मत्स्य पालन फार्म तथा उसी प्रकार के अन्य फार्म आते हैं, कृषि अभियांत्रिकी कर्मशालाओं तथा ऐसे अन्य उपस्करों का स्थापन करना जिनका कि कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र से संगठित करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(10) परीक्षाएं संचालित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय के अधीन अध्ययन पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, डिप्लोमा देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(11) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अधीन स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य किया हो उपाधियां और/या विद्या संबंध अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(12) अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानित उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं परिनियमों में विहित की गई रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रदान करना;

(13) परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अनुसार न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेन्ट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्यावृत्तियां (फेलोशिप्स) (जिनके अंतर्गत यात्रा अध्येतावृत्तियां आती हैं), छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां (एग्जीविशन्स), वजीफे (वसंरीज), पदक एवं अन्य संस्थित तथा प्रदान करना;

(14) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की अन्य शाखाओं के निरीक्षण का इन्तजाम करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का उचित स्तर बनाए रखा जाता है;

(15) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों को, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(16) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य, विकास एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन का इन्तजाम करना;

(17) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तियां करना;

(18) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(घ) कोई अन्य संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत की जाए;

(19) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :—

(क) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(घ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(20) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहयोग करना;

(21) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से अनुवांशिक हो या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो;

धारा-28

बोर्ड विश्वविद्यालय का कार्यपालक प्राधिकरण होगा और वह, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि बोर्ड की शक्तियां इस अधिनियम तथा परिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन विहित की जाएं, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्त्तव्य तथा निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित तथा मंजूर करना;

(दो) कुलपति द्वारा उसके समक्ष रखे गये वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना जैसे कि वह ठीक समझे;

(तीन) विश्वविद्यालय की समस्त शाखाओं की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य सरकार के समक्ष रखना;

(चार) अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए विद्या की ऐसी शाखाओं तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(पांच) महाविद्यालयों, विभागों, छात्रावासों तथा अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन संस्थाओं के स्थापन और अनुरक्षण की व्यवस्था करना और उनका प्रबंध करना;

(छह) ऐसी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, कृषि फार्मों का, जिनके अंतर्गत अभिजनन फार्म, कुक्कुट पालन फार्म, मत्स्य पालन फार्म तथा उसी प्रकार के अन्य फार्म आते हैं, तथा कृषि अभियांत्रिकी कर्मशालाओं और ऐसे अन्य उपस्करों की आयोजन तथा व्यवस्था करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(सात) कृषिक ग्रामीण जीवन अनुसंधान और विस्तार सेवा चलाना;

(आठ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :—

(क) (एक) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान; और

(दो) विश्वविद्यालय विस्तारी क्रियाकलाप;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप; और

(घ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किए जाएं;

(नौ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण और अनुशासन के नियंत्रण के लिए व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए इन्तजाम करना;

(दस) उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना और प्रदान करना;

(ग्यारह) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के संबंध में कुलाधिपति से सिफारिश करना;

(बारह) अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप), छात्रवृत्तियां (स्कालरशिप्स), अध्ययन वृत्तियां (स्टूडेण्टशिप्स), छात्र-सहायता वृत्तियां (एक्ज़ीबिशन्स) तथा पदक संस्थित करने, उन्हें बनाए रखने तथा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना;

(तेरह) परिनियमों द्वारा विहित फीस तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची को अनुमोदित करना;

(चौदह) परिनियम बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना;

(पन्द्रह) किसी विनियम को अनुमोदित करना, उसे रद्द करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे समुचित निकाय को वापस निर्देशित करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना और उसके उपयोग को विनियमित करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रशासन करना;

(अठारह) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अन्तरित करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के पक्ष में किए गए न्यासों, वसीयतों, संदानों और जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;

(बीस) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय की ओर संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उन्हें कार्यान्वित करना, या रद्द करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय का काम चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(बाईस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों (जो कुलपति से भिन्न हों), अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और उनके पदों की अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तेईस) निम्नलिखित को संस्थित करना :—

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ख) सूचना ब्यूरो; और

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(चौबीस) ऐसे अध्यापन पदों को, जिनकी प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा की जाय, अनुमोदित करना;

(पच्चीस) विश्वविद्याल में के किसी अध्यापन पद को, स्वमेव या विद्या परिषद् से उनके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलंबित करना;

(छब्बीस) कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के ऐसे अन्य अधिकारियों के, जिन्हें वह उचित समझे, वेतनमान तथा सेवा की शर्तें अधिकथित करना;

(सत्ताईस) अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त को गई किसी समिति को, जिसे भी कि वह ठीक समझे, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित करना; और

(अट्ठाईस) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों से असंगत न होने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.